जागरण

# Global Investors Summit: यूपी में निवेशकों के लिए रेड कार्पेट बिछाएंगी योगी सरकार की 19 सेक्टरों की नई नीतियां

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश की अर्थ व्यवस्था का वन ट्रिलियन डालर इकोनामी बनाने में जुट गई है। ऐसे में सरकार ने छह सेक्टरों की पुरानी नीतियों में बदलाव कर उन्हें विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए तैयार किया जा रहा है।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। Global Investors Summit उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का पहाड़ जैसा लक्ष्य तय करने के साथ ही योगी सरकार अब उसे हासिल करने का रास्ता निकालने में भी जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था में सुधार कर यूपी में निवेश का माहौल बनाने के साथ ही अब ऐसी लुभावनी नीतियां बनाने के भी निर्देश दिए हैं जिन्हें देखकर देश-विदेश के निवेशक उत्तर प्रदेश में ही निवेश की संभावनाएं तलाशें।

## 19 सेक्टरों के लिए पहली बार बनाई जा रही नीतियां

- उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (यूपी जीआइएस-2023) के जरिए निवेशकों को मौका देने के साथ ही सरकार 25 सेक्टरों के लिए नए सिरे से नीति (पालिसी) बना रही है।
- इनमें 19 सेक्टरों के लिए तो पहली बार नीतियां बनाई जा रही हैं। छह सेक्टरों की पुरानी नीतियों में व्यापक बदलाव कर उन्हें भी निवेशकों को लुभाने वाली बनाया जा रहा है।
- अगले वर्ष 10 फरवरी से होने वाले तीन दिवसीय यूपी जीआईएस के लिए टीम योगी देश-दुनिया के निवेशकों को नवंबर-दिसंबर में न्योता देने के लिए निकलेगी।
- उससे पहले ही योगी सरकार 25 सेक्टरों के लिए नयी नीतियों को अंतिम रूप देने में जुटी है। मुख्यमंत्री ने 15 अक्टूबर से पहले ही सभी नीतियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं।
- ऐसे में नीतियों को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही घोषित कर दिया जाएगा। बड़े निवेश के लिहाज से सरकार का सबसे अधिक फोकस आईटी, इलेक्ट्रानिक्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेक्टर पर ही है।
- सरकार की 25 नीतियों में से पांच केवल आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से संबंधित हैं जबकि चार पालिसी इंन्फ्रास्ट्रक्चर एवं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़ी हैं।

## नए सिरे से बन रही हैं नीतियां

योगी सरकार जिन 19 सेक्टरों के लिए बिल्कुल नए सिरे से पालिसी ला रही है उनमें सिविल एविएशन की एमआरओ (मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहाल) पालिसी, एमएसएमई पालिसी, सोलर पालिसी और बायो फ्यूल पालिसी हाल ही में घोषित की जा चुकी हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पालिसी, ड्वाय पालिसी, टेक्स्टाइल्स पालिसी, पोल्ट्री पालिसी, मिल्क पालिसी, टूरिज्म पालिसी, फूड प्रासेसिंग पालिसी, इन्टीग्रेटेड टाउनशिप पालिसी, इंडस्ट्रियल पालिसी, डब्ल्यू एंड एल (वेयरहाउस एंड लाजिस्टिक्स) पालिसी, फिल्म पालिसी, एवीजीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कामिक) पालिसी, मेडिकल कालेज (पीपीपी मोड) पालिसी, हास्पिटल्स पालिसी और आईटी पालिसी है।

## पुरानी नीतियों में हो रहा बदलाव

डिफेंस पालिसी, फार्मा पालिसी, डेटा सेंटर पालिसी, स्टार्टअप पालिसी, एसडब्ल्यूएम (सालिड वेस्ट मैनेजमेंट) पालिसी और इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग की मौजूदा पालिसी में व्यापक बदलाव कर योगी सरकार उसे नए सिरे से लागू करने की तैयारी में है।

देश के प्रमुख राज्यों की सेक्टरवार पालिसी का गहन अध्ययन करने के बाद ही उत्तर प्रदेश के लिए विभिन्न सेक्टर की पालिसी के ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं। ड्राफ्ट को भी अंतिम रूप देने से पहले सभी संबंधित से उस पर बातचीत की जा रही है। उचित सुझावों को शामिल करते हुए पालिसी तैयार की जा रही है। ऐसे में देश-दुनिया के निवेशकों को हमारी पालिसी कहीं बेहतर लगेंगी और वे उत्तर प्रदेश में ही निवेश करना चाहेंगे।